

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) एक मकान/पुस्तक के निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्र फ्लोर नहीं करवाये ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विस्तर (व्यापिक, आवासीय, अतिरिक्त या अन्य) होने की स्थिति में निम्न पर कोई अनुमति/परमिट नहीं दीया जाये ।
- (iii) मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से आधिकारिक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत मकान के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**स्काूल खिडकी कैबल अलायमीय प्रयोजनार्थ**

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 483 दिनांक 31/01/2020

प्रार्थीया श्रीमती कमला चौधरी जी/0 श्री मन्तराम चौधरी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No-04 महवीर जैन कोलेज

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पत्र अपना नम्बर 72/कॉरिडोर जाम-जैप

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 50570/- जमा

करिये रसीद संख्या 1028/1543/1548

दिनांक 31/01/2020 को जमा करा दी है ।

31/01/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

सी+1  
अलायमीय

31/2/2020  
24/1/2023